



## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक जालावाड

कमांक-जिशाअ/प्राशि/ज्ञा/मान्यता/आरटीई/15-16/83

दिनांक- 29.06.2015

प्रबन्धक, सन्त सुधा सागर पब्लिक स्कूल, चौदखेड़ी,  
(अंग्रेजी माध्यम) खानपुर, जिला जालावाड

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा -18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के उप नियम 4 के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके दिनांक 27.04.2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं सन्त सुधा सागर पब्लिक स्कूल, चौदखेड़ी, खानपुर को दिनांक 01.07.2015 से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अंग्रेजी माध्यम के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा - 5 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधों का पालना करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा- 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा - 12 (2) के उपाबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ती किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सासायटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरपूर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-

प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।

किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अधीन नहीं किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम - 23 के अधीन अधिकृत किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

- अधिनियम के उपाबंधों के अनुसार अनुशक्तता, ग्रस्त/विशेष आस-पड़ोस के बालकों को प्रवेश प्रदान करने के लिए विद्यालय को प्रोत्साहित किया जायेगा।

PRESIDENT

Principal

PRINCIPAL

Sant Sudha Saagar Public School

Chartered School, Khajuraho

Jawahar N: Vidyalya  
Khatya Deval, Esogam Road, Ashoknagar (M.P.)

विधाथेयो का नामाकन करगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र - 10360 वर्गफीट।
- कुल निर्मित क्षेत्र - 6900 वर्गफीट।
- क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल - 3025 वर्गफीट।
- कक्षा कमरों की संख्या - 18
- प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय -सह-भंडार कक्ष - 04
- बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - उपलब्ध है।
- पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।
- मिड-डे मिल किचन - है।
- बाधा रहित पहुंच - हाँ।

• अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्ध है।

11. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा रांपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झालावाड को भेजी जानी चाहिए।

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड कमांक जिशिअ/प्राशि/झा/मान्यता/आरटीई/15-16/83 दिनांक 29.06.2015 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अपेक्षित है और राज्य प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के अंतर्गत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जावे।

Principal

Vivekanand Govt. Model School  
Shahabadi, Baran

Jawahar

Govt. School, Esogari, Dist. Ashoknagar (M.P.)

Principal


Public School

PRESIDENT

जिला शिक्षा अधिकारी

आर.के. झालावाड

Chandcheri, Khanpur, Jhalawar (Raj.)



राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, झालावाड़

जगमग हेल्पलाइन :- 07432-230645,  
07432 -230640

फोन न. 07432-232283, फैक्स न. -232283  
Email - dcoelc.jwr447@gmail.com

क्रमांक-जिशाअ/प्राशि/झा/मान्यता/आरटीई/16-17/221

दिनांक- 05.09.2016

प्रबन्धक, सन्त सुधा सागर पब्लिक स्कूल,  
चौदखेड़ी, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा -18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के उप नियम 4 के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके ऑन लाईन आवेदन क्रमांक 10661 दिनांक 28.04.2016 और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्बर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल, चौदखेड़ी, पं.स. खानपुर जिला झालावाड़ को शैक्षिक सत्र 2016-17 से क्रमोन्नत कर प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर अंग्रेजी माध्यम के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा - 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधकों का पालना करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- पैरा- 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा - 12 (2) के उपाबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-
  - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काषित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम - 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - अधिनियम के उपाबंधों के अनुसार अनःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जायेगा।

Principal

PRINCIPLE

PRINCIPAL

Principal, K. Sagar, Jhalawar (Raj.)

PRESIDENT

Sant Sudha Sagar Public School  
Chand...

वष का अवाध क भातर एसी न्यूनतम आहंताएं अर्जित करेंगे।

- अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजन में नियोजित नहीं करेंगे।
- 8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
- 10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में गथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-
  - विद्यालय परिसर का क्षेत्र - 10021.60 वर्गफीट।
  - कुल निर्मित क्षेत्र - 3006.48 वर्गफीट।
  - क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल - 3995.98 वर्गफीट।
  - कक्षा कमरों की संख्या - 11
  - प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय -सह-भंडार कक्ष - 03
  - बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - उपलब्ध है। (15 बालक- 15बालिकाओं)
  - पेयजल सुविधा - उपलब्ध है। (दयूबवेल)
  - मिड-डे मिल किचन - नहीं।
  - बाधा रहित पहुंच - हों।
  - अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्ध है।
- 11. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
- 12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।
- 13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झालावाड़ को भेजी जानी चाहिए।
- 16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड क्रमांक जिशिअ/प्राशि/झा/मान्यता/आरटीई/ 16-17/ 221 दिनांक 05.09.2016 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- 17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अपेक्षित है और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।
- 18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जावे।

क्रमांक-जिशिअ/प्राशि/झा/मान्यता/आरटीई/16-17/221

प्रतिलिपि:-

1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक - खानपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

Principal

PRINCIPAL

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक झालावाड़

PRESIDENT

Sant Sudha Sagar Public School

Chandhari, Khanpur, Jaisalmer (Raj.)